



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 मई 2015—ज्येष्ठ 6, शक 1937

कार्यालय, आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 26 मई 2015

क्र. 2778-सामान्य-9-20-न.प.नि.-2015.—नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगरपालिक निगम के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कॉलम (3) में यथानिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित की जाती है:—

अनुक्रमांक (1)	नगरपालिक निगम का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
01	नगरपालिक निगम, मुरैना	47

शिवानन्द दुबे, आयुक्त,